

फा. सं. 1/14/2015-स्थापना

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

(स्थापना अनुभाग)

तृतीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

परिपत्र

पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 18 सितम्बर, 2018 को पेंशन अदालत लगाने के संबंध में जारी 10 जुलाई, 2018 के अ.शा. पत्र सं. 42/11/2018-पी एंड पी डब्ल्यू(जी) के संबंध में।

2. इस संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग पेंशन/फैमिली पेंशन के उन सभी मामलों के समाधान के लिए दिनांक 18.9.2018 को पेंशन अदालत लगाएगा, जिनके संबंध में वेतन और लेखा कार्यालय तथा केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा विसंगतियों का उल्लेख किया गया है।

3. वित्तीय सेवाएं विभाग तथा पूर्ववर्ती बीआईएफआर/एएआईएफआर के असंतुष्ट पेंशन भोगी/फैमिली पेंशन भोगी अथवा उनके प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे अपने मामलों को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज के साथ वित्तीय सेवाएं विभाग (तीसरा तल, सम्मेलन कक्ष, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली) में दिनांक 18.9.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे लगाई जाने वाली पेंशन अदालत के स्थल पर उपस्थित हों।

मृ. मृत्युंजय सिंह

(मृत्युंजय सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

एनआईसी प्रकोष्ठ, वित्तीय सेवाएं विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।